एक हफ्ते में सुनाई गई चौथी सजा

गोण्डा | हिन्दुस्तान संवाद

आईजी डॉ. राकेश सिंह के निर्देशन में महिला सशक्तीकरण के तहत पैरवी में एक हफ्ते के अंदर मंडल में न्यायालय ने चौथी सजा सुनाई । है। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान की नियमित समीक्षा आईजी स्तर पर की जा रही है।

वर्ष 2021 माह अप्रैल में जनपद बलरामपुर में आरोपी पवन कुमार निवासी हरिहरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऐक्ट/अपरसत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा 2 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा, बहराइच से रामकिशुन ग्राम मरकट थाना बौंडी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व हत्या, बलात्कार और पाक्सो एक्ट के अभियोग में रमेश कुमार निवासी पूरेदतई थाना धानेपुर गोंडा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पास्को एक्ट में मो. वसीम व मो. परवेज निवासी खुशियालीजोत बस्तीखास थाना खोड़ारे को पांच- पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच -पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में कमी लाने व पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के साथ घटित अपराधो में प्रभावी पैरवी किये जाने व गवाहों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराये जाने के लिए सभी को निर्देश दिये गये है।

प्रभावी पैरवी की जाने के कारण पुलिस महानिरीक्षक की ओर से परिक्षेत्रीय जनपदों के पैरोकारों को पुरस्कृत किया जाएगा।